उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-36+61-2004-05

मो0 कलरी बनाम् महादेवी रमानी वगै0

गौरी शंकर झा बनाम् महादेवी रमानी वगै0

-: आदेश :-

दिनांक	
08/10/19	सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता बद्री प्रसाद भगत, पे0–स्व0 प्रसादी भगत वो कालरी देवी, पति–बदरी भगत वो अरवेश्वर मेहरा, पे0–स्व0 असहो मेहरा वो सदाफल मेहरा, पे0–भुटानी मेहरा वो दीप नारायण मेहरा, पे0–लुटू मेहरा वो पारसनाथ मेहरा, पे0–स्व0 लुटू मेहरा वो भुनेश्वर मेहरा, पे0–सिताबी मेहरा वो आशा देवी, पति–अरूण प्र0 चौधरी वो आभा देवी, पति–हुलासी माली वो चंद्रा देवी, पति–जामुना मेहरा, सभी साकिन–गंगटा खुर्द, थाना–गोड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन पर आर0एम0ए0 नं0–36/2004–05 प्रारम्भ किया गया एवं अपीलकर्त्ता गौरी शंकर झा, पे0–स्व0 मुकुन्दी झा मोहल्ला–लाल बाग भागलपुर, थाना–भागलपुर, जिला–भागलपुर, वर्तमान पता– मौजा गंगटा खूर्द गुरूनगर, गोड्डा, थाना–गोड्डा, जिला– गोड्डा के अपील आवेदन पर आर0एम0ए0 नं0–61/04–05 प्रारंभ किया गया है। दोनों अपील वाद के अपीलकर्त्ताओं के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–33/03–04 (महादेव रमानी बनाम् गौरी शंकर झा) आदेश दिनांक–06–09–2004 के विरूद्ध दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–33/03–04 (महादेव रमानी बनाम् गौरी शंकर झा) आदेश दिनांक–06–09–2004 के द्वारा निम्नलिखित व्यक्यिों को उनके नाम के सामने अंकित जमीन से उच्छेद किया गया।

क्रमांक	उच्छेद किए गए व्यक्ति का नाम	मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
1	गौरी शंकर झा पे0 स्व0 मुकुन्दी झा सा0–लालबाग भागलपुर	गंगटा खूर्द	71	438, 439	00–02–00 धुर
2.	बद्री प्र0 भगत पे0– स्व0 प्रसादी भगत	गंगटा खूर्द	71	438	00–00–19 धूर

RMA No. 22-2019-20

3. करली देवी	गंगटा खूर्द	71	438	00–01–15 धुर
पे0– हलकोरी साह				
4. सर्वेश्वर मेहरा	गंगटा खूर्द	71	438	00–03–00 धुर
5. सदाफल मेहरा	गंगटा खूर्द	71	438	00–02–00 धुर
6. दीप नारायण मेहरा	गंगटा खूर्द	71	438	00–01–10 धुर
7. लदु मेहरा	गंगटा खूर्द	71	438	00–01–10 धुर
8.भुवनेश्वर मेहरा	गंगटा खूर्द	71	438	00–01–10 धुर
9. आशा देवी	गंगटा खूर्द	71	438	00–01–10 धुर

क्र0–02 से 09 तक
का साकिन गंगटा खूर्द
थाना–गोड्डा जिला–गोड्डा।

चूँकि दोनों अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के एक ही वाद के आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इसलिए दोनों अपील वाद को एक साथ संबद्ध कर सुनवाई की गई।

प्रक्रिया चलने के दौरान अपीलकर्त्ता सं0–01 वद्री भगत की मृत्यु के पश्चात मो0 कलरी, अपीलकर्त्ता सं0–04 सदाफल मेहरा की मृत्यु के पश्चात राम किंकर कुमार एवं अपीलकर्त्ता सं0–05 दीप नारायण मेहरा की मृत्यु के पश्चात 1. पंचला देवी पति–स्व0 दीप नारायण मेहरा 2. सरोज कुमार मेहरा 3. राजीव रंजन 4. संजीव रंजन 5. सभी पे0 स्व0 दीप नारायण मेहरा को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया।

अपीलकर्त्ता मो0 कलरी, अरवेश्वर मेहरा, सदाफल मेहरा, पारसनाथ मेहरा, भुनेश्वर मेहरा, आशा देवी ,आभा देवी, चंद्रा देवी, पंचला देवी पति – दीप नारायण मेहरा, सरोज कुमार मेहरा, राजीव रंजन, संजीव रंजन .सभी पे0 स्व0 दीप नारायण मेहरा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है उत्तरवादी महादेव रमानी के द्वारा मोजा गंगटा खूर्द जमाबंदी सं0–71 दाग नं0–438, 439 रकवा 00–02–00 धूर जमीन से विपक्षी गौरी शंकर झा को उच्छेद करने के लिए निम्न न्यायालय में आर0 ई0 आर0 केश नं0–33/03–04 दायर किया था। लेकिन उक्त उच्छेदीवाद में उत्तरवादी के द्वारा अपीलकर्त्तागण को निम्न न्यायालय में विपक्षी पक्षकार नहीं बनाया था। लेकिन उक्त उच्छेदी वाद में विपक्षी गौरी शंकर झा की ओर से दिनांक–08. 08.2004 को निम्न न्यायालय में इस आशय का आवेदन दिया गया कि विपक्षी के अलावे दाग नं0–438 एवं 439 की जमीन पर अन्य बाहरी व्यक्तियों के द्वारा भी मकान बनाये हुए हैं। विपक्षी के आवेदन पर उनलोगों

को पक्षकार बनाये बिना ही कारण पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश दिया गया। अपीलकर्त्तागण निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। आभा देवी, कुमुद प्र0 मेहरा, भुवनेश्वर मेहरा, सदाफल मेहरा, बद्री प्र0 भगत, पारसनाथ मेहरा, यमुना मेहरा, आशा देवी, दीपनारायण मेहरमा, सर्वेश्वर मेहरा एंव कबली देवी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया कि बदरी प्रसाद भगत ने वर्ष 1932 ई0 में दाग नं0–438 के अर्न्तगत रकवा 00–00–19 धूर भूमि, करली देवी के पिता हलकोरी साह को दाग नं0–438 के अर्न्तगत रकवा 00–01–05 धूर भूमि वर्ष 1932 ई0 में विपक्षी सर्वेश्वर मेहरा के पिता को वर्ष 1936 ई0 में जमाबंदी रैयत के पुत्र बंगाली रवानी से दाग नं0–438 के अर्न्तगत रकवा 00–03–00 धूर भूमि, विपक्षी सदा फल मेहरा के पिता को वर्ष 1936 ई0 दाग नं0–438 के अर्न्तगत रकवा 00–02–00 धूर भूमि, दीपनारायण मेहरा के पिता को वर्ष 1936 ई0 में दाग नं0–438 रकवा 00–01–10 धूर भूमि, लटु महरा के पिता सितावी मेहरा को वर्ष 1936 ई0 में दाग नं0–438 के अर्न्तगत रकवा 00–01–10 धूर भूमि विपक्षी आशा देवी के पिता को वर्ष 1936 ई0 में दाग नं0–439 के अर्न्तगत रकवा 00–02–00 धूर भूमि कुरफानामा से प्राप्त करने का दावा किये हैं एवं उनलोगों के द्वारा जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा दिया गया शपथ का छाया प्रति, कुर्फानामा का छाया प्रति, बिजली बिल का छाया प्रति तथा नगर पालिका का रसीदि का छाया प्रति दाखिल किया गया कि उनलोगों के दखल पर जमाबंदी रैयत किसी वारिशान का कोई आपत्ति नहीं है एवं उनलोगों का उक्त जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल लगातार चला आ रहा है। इसलिए उनलोगों पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं होता है। उनलोगों को उच्छेद उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में आवेदन नहीं किया था। लेकिन निम्न न्यायालय ने उनलोगों के दावा पर विचार किये बिना ही नियम विरूद्ध आदेश पारित करते हुए अपीलवादगत जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। अपीलकर्त्तागण के विद्वान ने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलआवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता गौरीशंकर झा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा गंगटा खूर्द के अन्तर्गत जमाबंदी सं0–71 के अंदर रकवा 00–02–00 धूर जमीन अपीलकर्त्ता के पिता मुकुद झा को मौखिक लेन देन के आधार पर कुर्फा बंदोवस्ती द्वारा जमाबंदी रैयत मोची रमानी से

वर्ष 1937 ई0 में प्राप्त हुआ था। कुर्फा से प्राप्त करने के बाद अपीलकर्त्ता के पिता उस पर कच्चा मकान बनाया तथा उस पर सपरिवार निवास करने लगे। चूँकि अपीलकर्त्ता के पिता का उक्त जमीन पर 1949 के बारह वर्ष पूर्व से दखल था। इसलिए उनका उक्त जमीन पर हक कायम हो गया था एवं जमाबंदी रैयत के वंशज किसी द्वारा उनके दखल पर आपत्ति भी नहीं किया गया था। अपीलकर्त्ता की मृत्यु के बाद अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर दखलकार हुए तथा उक्त पुराने मकान का जीर्णोद्धार कर नये पक्के का मकान बनाया हैं तथा सपरिवार उस पर निवास करते आ रहें हैं। उत्तरवादी महादेव रमानी के द्वारा अपीलकर्त्ता के सम्पूर्ण दावा को स्वीकार भी किया है एवं अपीलकर्त्ता के दावा के समर्थन में उत्तरवादी महादेव रमानी के द्वारा दिनांक 26–11–1991 को शपथ पत्र भी दिया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा उकत जमीन का घेराबंदी किये जाने के कम में उत्तरवादी के विवाद शुरू किया गया एवं आरोप लगाया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा दाग नं0–437 पर दावा दिया जा रहा है। उत्तरवादी के द्वारा अनुमंडल दण्डाधिकारी गोड्डा के न्यायालय में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध शिकायत आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर क्रि0 मीस0 केश नं0–909/03 प्रारम्भ किया गया। लेकिन विवादित जमीन का कोई चौहदी अंकित नहीं होने एवं अपीलकर्त्ता के द्वारा दाग नं0–437 की जमीन पर दावा नहीं किये जाने के कारण प्रक्रिया को समाप्त किया गया। इसके बाद उत्तरवादी के द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आर0 ई0 आर0 केश नं0 33/03–04 दायर किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता के द्वारा कुर्फानामा एवं उसके समर्थन में उत्तरवादी महादेव रमानी के द्वारा दिया गया शपथ पत्र एवं अपने दावा के समर्थन में नगर पालिका रसीद, राशन कार्ड तथा बिजली बिली का रसीद दाखिल किया गया। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता के उक्त जमीन पर लम्बी अवधि से दखल के दावा नहीं माना गया एवं निम्न न्यायालय द्वारा नियम के विपरीत आदेश पारित करते हुए उक्त जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों, संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा गंगटाखूर्द नं0–515 जमाबंदी से0 71 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोची राम रवानी वल्द गजाधर रवानी कौम कहार के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अर्न्तगत दाग

नं0–438 एवं 439 की जमीन निम्न अपीलकर्त्ता के द्वारा उनके सामने अंकित जमीन वर्ष 1949 के बारह वर्ष पूर्व कुर्फा बंदोवस्ती से प्राप्त करने का दावा किया है:–

1. गौरी शंकर झा	439	00–02–00 धूर
2. मो0 कलरी	438	00–00–19 धूर
3. कलरी देवी	438	00–01–05 धूर
4. सर्वेश्वर मेहरा	438	00–03–00 धूर
5. रामकिंकर कुमार	438	00–02–00 धूर
6.पंचला देवी, सरोज कुमार मेहरा, राजीव रंजन एवं संजीव रंजन	438	00–01–10 धूर
7.पारस नाथ मेहरा	438	00–01–10 धूर
8.भवनेश्वर मेहरा	438	00–02–10धूर
9. आशा देवी	438	00–02–10 धूर
10. चन्द्र देवी	438	00–01–05 धूर

लेकिन 1949 के बारह वर्ष पूर्व का कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया गया है, जो भी साक्ष्य के रूप में कागजात अपीलकर्त्तागण की ओर से दाखिल किया है, वह वर्ष 1949 ई0 के बहुत बाद का है। इसलिए अपीलकर्त्तागण की ओर से दाखिल कागजात के आधार पर उनलोगों का उक्त वादगत जमीन में प्रतिकूल प्रभाव से दावा प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–33/03–04 में दिनांक–06.09.2004 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन खारिज किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि 8 सप्ताह के अंदर दखल दिहानी दिलाकर न्यायालय को अनुपालन प्रतिवेदन देगें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Seen
18.10.2021

ओ0पी0–175/लि0
16/10/21

Seen
18/10/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:02:31 +05:30
Location: 192.168.29.8

08/10/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

08/10/21
उपायुक्त,
गोड्डा।